बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल युवाओं को बल" के अन्तर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य के सभी प्रखण्डों में एक-एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कराया गया है । इन प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी के चयन हेतु विभिन्न चरणों में RFP no. BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक-13.08.2016, RFP no. BSDM/RFP/08/2016-17 दिनांक-09.09.2016, RFP no. BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक-22.10.2016 तथा RFP no. BSDM/RFP/03/2017-18 दिनांक-19.06.2017 देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ साथ राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराया गया तथा इसे बिहार कौशल विकास मिशन के Website-www.skillmissionbihar.org पर भी अपलोड किया गया । RFP no. BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक-13.08.2016 के आधार पर एजेंसी मेसर्स Shri Ram New Horizons को औरंगाबाद सदर (औरंगाबाद), भभुआ सदर (कैमूर), मोहनिया (कैमूर), रामगढ़ (कैमूर), मुरौल (मुजफ्फरपुर), मुशहरी (मुजफ्फरपुर), सम्पतचक (पटना), दाउदनगर (औरंगाबाद), हसपुरा (औरंगाबाद) तथा कांटी (मुजफ्फरपुर) प्रखण्डों में स्थापित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन का दायित्व सौंपते हुए उन्हें LOA संख्या-BSDM/RFP-40/2016-436 दिनांक-15.09.2016 निर्गत किया गया ।

निर्गत LOA के आधार पर एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के द्वारा आवश्यक Performance guarantee की राशि जमा करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया, जिसके आधार पर जनवरी,फरवरी,मार्च तथा अप्रैल, 2017 के माह में प्रथम चरण के Shri Ram New Horizons के साथ संबद्ध कुल 10 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में से 5 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रारम्भ करने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इन केन्द्रों पर कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ । एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के द्वारा मुशहरी (मुजफ्फरपुर), सम्पतचक (पटना), दाउदनगर (औरंगाबाद), हसपुरा (औरंगाबाद) तथा कांटी (मुजफ्फरपुर) प्रखण्डों में निर्मित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण इन केन्द्रों का अनुमोदन बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर नहीं हो सका ।

एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के साथ संबद्ध प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र मुरौल(मुजफ्फरपुर) का अनुमोदन दिनांक-27.02.2017 को प्रदान किया गया तथा एजेंसी के द्वारा इस केन्द्र पर मार्च, 2017 बैच में 19, अप्रैल, 2017 में 7, मई,2017 में 20, सितम्बर, 2017 में 20 तथा नवम्बर,2017 में 6 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया ।

बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार BSDC, मुरौल के मार्च बैच में नामांकित 19 तथा अप्रैल बैच में नामांकित 7 छात्रों में से कोई भी प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कराया गया, जिसके कारण वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं हो सके । मई बैच में नामांकित 20 प्रशिक्षणार्थियों में से केवल 8 तथा सितम्बर बैच में नामांकित 20 छात्रों में केवल 8 प्रशिक्षणार्थी हीं अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर सके तथा वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य घोषित किये जा सके । इसी प्रकार नवम्बर बैच में नामांकित किसी भी प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण एजेंसी के द्वारा पूर्ण नहीं कराया जा सका ।

माह अप्रैल, 2017 के अंतिम सप्ताह में BSDC, मुरौल (मुजफ्फरपुर) में नामांकित किसी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गयी कि इस केन्द्र पर प्रशिक्षण बाधित है । इसी क्रम में दिनांक- 25 अप्रैल, 2017 को District Skills Manager, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र मुरौल का औचक निरीक्षण किया गया तथा इस केन्द्र को बंद पाया गया । उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि पिछले 8-10 दिनों से इस केन्द्र पर Offline mode में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है । Offline mode में कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण संचालित किया जाना प्रशिक्षण संचालित किये जाने के स्थापित मानको के विपरीत होने के कारण एजेंसी से पत्र संख्या-280 दिनांक-27.04.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी ।

दिनांक-1 मई, 2017 को District Skills Manager, मुजफ्फरपुर के द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया कि इस केन्द्र पर विद्युत आपूर्ति हेतु केवल Online UPS उपलब्ध है तथा Power backup के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । दिनांक-6 मई, 2017 को District Skills Manager, मुजफ्फरपुर के द्वारा पुनः यह प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-5 मई, 2017 को उनके द्वारा इस केन्द्र का पुनः निरीक्षण किया गया । एजेंसी के द्वारा अप्रैल बैच में भी इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन कर दिया गया है, लेकिन इस प्रशिक्षण केन्द्र पर मार्च तथा अप्रैल दोनों बैच के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण अभी भी बाधित है।

दिनांक-14 मई, 2017 को District Skills Manager, मुजफ्फरपुर के द्वारा पुनः यह प्रतिवेदित किया गया कि इस केन्द्र पर अभी भी प्रशिक्षण बाधित है तथा जब भी वे एजेंसी के प्रतिनिधि से दूरभाष पर सम्पर्क करना चाह रहे हैं तो वे उनके कॉल को उठा नहीं रहे हैं ।

दिनांक-1 जून, 2017 को District Skills Manager, मुजफ्फरपुर के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक-27.05.2017 को BSDC, मुरौल का पुनः औचक निरीक्षण किया गया था । औचक निरीक्षण के समय यह केन्द्र बंद पाया गया । इस केन्द्र पर एजेंसी के एक भी कर्मी उपलब्ध नहीं थे तथा अभी भी वहाँ प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है । उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि जब उन्होंने एजेंसी के प्रतिनिधि से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया तो उनके कॉल की उपेक्षा की गयी तथा उनसे बात नहीं किया गया । जाँच के क्रम में एजेंसी के किसी दूसरे प्रतिनिधि के द्वारा उन्हें बताया गया कि इस केन्द्र पर कोई Learning facilitator उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह केन्द्र बंद है । दिनांक-2 जून, 2017 को SPMU Incharge, मुजफ्फरपुर के द्वारा email के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया कि BSDC, मुरौल पर अभी भी प्रशिक्षण बाधित है तथा यहाँ छात्रों के नामांकन के पश्चात भी इनका प्रशिक्षण संचालित नहीं किया जा रहा है । दिनांक-2 अगस्त, 2017 को पुनः District Skills Manager, मुजफ्फरपुर के द्वारा email के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया कि BSDC, मुरौल में अभी भी प्रशिक्षण बाधित है तथा एजेंसी के प्रतिनिधियों से संपर्क करने पर उनके द्वारा एक-दो दिन के भीतर प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्मित तथा एजेंसी को आवंटित 10 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में से अभीतक केवल 5 की हीं स्थापना की गयी थी तथा एजेंसी को email के माध्यम से बार-बार दिनांक-31 जुलाई, 2017 तक शेष बचे 5 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित कर इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने की सूचना दी जाती रही,

लेकिन उनके द्वारा शेष बचे 5 केन्द्रों को न तो स्थापित हीं किया गया न हीं यहाँ प्रशिक्षण हीं प्रारम्भ किया गया ।

राज्य सरकार के द्वारा निर्मित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु एजेंसी के चयन के लिए प्रकाशित RFP में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि ' The successful applicant organisation(AO) has to run the allotted BSDC by themselves only and the sub-letting of BSDC is strictly prohibited and will not be allowed under any circumstances. No Joint venture or consortium will be permissible' एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा के Section-3 में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ' The organisation has to run the allotted BSDC by itself and any kind of sub-letting or sub-contracting or franchisee arrangement of the BSDC/s or conduct of training is strictly prohibited and impermissible under any circumstances. No joint venture or consortium or association is permissible.' एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के विरूद्ध ऐसी सूचना प्राप्त होने लगी कि उनके द्वारा RFP की शर्तो तथा हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करते हुए अपने केन्द्रों को Frenchisee mode में संचालित किया जा रहा है, अतः बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–573 दिनांक–4.8.2017 के द्वारा एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछा गया ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में Shri Ram New Horizons Ltd. के Vice president के द्वारा दिनांक–5.8.2017 को यह जवाब दिया गया कि उनके द्वारा अपने किसी केन्द्र का Sub-letting नहीं किया गया है, न हीं किसी केन्द्र को Franchisee mode में संचालित किया जा रहा है । शेष केन्द्रों को स्थापित किये जाने के बिन्दु पर अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा यह कहा गया कि शेष बचे केन्द्रों के स्थापित किये जाने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा निकट भविष्य में हीं उन्हें प्रारम्भ किये जाने की सूचना बिहार कौशल विकास मिशन को दी जायेगी । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सभी केन्द्रों को अंतिम रूप से स्थापित किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक–31 जुलाई, 2017 निर्धारित थी तथा उस तिथि तक सभी केन्द्रों को स्थापित किये जाने की सूचना email के माध्यम से एजेंसी को दी जा चुकी थी, लेकिन एजेंसी के द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने शेष बचे 5 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित नहीं किया जा सका था।

दिनांक–10 अगस्त, 2017 को District Skills Manager, कैमूर के द्वारा एजेंसी के साथ संबद्ध प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में प्रतिवेदन भेजा गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर BSDC, भभुआ सदर, Shri Ram New Horizons के साथ पंजीकृत है, लेकिन इस केन्द्र के Coordinator के अनुसार यह केन्द्र एक अन्य एजेंसी के द्वारा Franchisee mode में संचालित किया जा रहा है । दिनांक–23 सितम्बर, 2017 को Center Coordinator, भभुआ सदर के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को email के माध्यम से यह सूचित किया गया कि उन्होंने इस केन्द्र को स्थापित करने में 7 लाख रूपये व्यय किया है तथा उनके द्वारा एक अन्य एजेंसी के साथ एकरारनामा किया गया है, लेकिन एजेंसी के द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वे इस केन्द्र के कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं । साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा एक अन्य एजेंसी Youth Arena Pvt.Ltd. के साथ किये गये एकरारनामा की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी ।

इसी बीच दिनांक–31.10.2017 को स्थानीय समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें बिहार महादलित विकास मिशन में दशरथ मांझी कौशल विकास योजना में अनियमितता पाये जाने के आधार पर निगरानी विभाग के द्वारा Shri Ram New Horizons के साथ एक अन्य संगठन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने का उल्लेख था । निगरानी जाँच में एजेंसी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अनियमितता के गंभीर आरोप पाये जाने के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी, अतः बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से इस संगठन के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एजेंसी के साथ संबद्ध तथा संचालित सभी 5 केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से अवरूद्ध कर दिया गया तथा बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–880 दिनांक–2.11.2017 के द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन से दायर किये गये प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा अपने पत्र संख्या–1389 दिनांक–8.11.2017 के द्वारा एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के साथ एक अन्य संगठन के विरूद्ध दायर प्राथमिकी संख्या–81/2017 दिनांक–23. 10.2017 की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसके अवलोकन से यह विदित हुआ कि Shri Ram New Horizons एवं अन्य के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार के द्वारा भा0द0वि0 की धारा –406/409/420/468/471/477(A) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है । निगरानी विभाग के द्वारा एजेंसी के विरूद्ध अनियमितता के लिए प्राथमिकी दर्ज किये जाने तथा अन्य त्रुटियों के कारण बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–27 दिनांक–9.1.2018 के द्वारा एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा पोर्टल से इनके द्वारा किये गये कार्यो की विवरणी प्राप्त की गयी । पोर्टल से प्राप्त विवरणी से यह स्पष्ट हुआ कि एजेंसी के द्वारा BSDC, मुरौल(मुजफ्फरपुर) में माह मार्च में 19 तथा माह अप्रैल में 7 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किया गया, लेकिन नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिये जाने के कारण वे परीक्षा के लिए eligible नहीं हो सके । माह मई में इस केन्द्र पर उनके द्वारा पुनः 20 प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित किया गया, लेकिन अनियमित प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के कारण केवल 8 प्रशिक्षणार्थी हीं परीक्षा के लिए योग्य घोषित हो सके । इसी प्रकार माह सितम्बर में भी इस केन्द्र पर 20 प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित किया गया, लेकिन अनियमित प्रशिक्षण के कारण केवल 8 प्रशिक्षणार्थी हीं परीक्षा के लिए योग्य हो सके, जबकि माह नवम्बर में नामांकित किसी भी प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया तथा वे परीक्षा के लिए योग्य नहीं हो सके । एजेंसी के द्वारा रामगढ़(कैमूर) BSDC पर भी माह नवम्बर में 23 प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित किया गया, लेकिन उनका प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया, जिसके कारण वे परीक्षा के लिए योग्य नहीं हो सके ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के द्वारा दिनांक–12.1.2018 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान में उनके द्वारा संचालित 5 केन्द्रों में से 3 केन्द्र औरंगाबाद सदर, भभुआ सदर तथा मोहनिया में नियमित प्रशिक्षण गुणवत्ता के साथ संचालित किया जा रहा है तथा इन केन्द्रों से करीब 200 से ज्यादा प्रशिक्षणार्थी अभीतक प्रशिक्षित एवं प्रमाणित हो चुके हैं । दिनांक–8.8.2017 को भेजे गये email का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा यह कहा गया कि एजेंसी के द्वारा भेजे गये email के आलोक में यदि बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा उनके एजेंसी को शेष 5 बचे केन्द्रों के स्थापना की अनुमति मिली होती तो वे इनको

स्थापित कर देते क्योंकि उस समय तक इनके द्वारा इन केन्द्रों को स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था कर ली गयी थी ।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के RFP के आधार पर सभी चयनित एजेंसियों को दिनांक–31 जुलाई, 2017 तक अपने सभी केन्द्रों को स्थापित करने का निदेश जारी किया गया था । निर्धारित तिथि तक एजेंसी के द्वारा इन केन्द्रों को स्थापित नहीं किया गया तथा निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात उनके द्वारा यह सूचित किया गया कि वे अब लगभग इन केन्द्रों को स्थापित करने की स्थिति में हैं,जिसका कोई वैधानिक औचित्य नहीं होता था । जहाँतक BSDC, औरंगाबाद तथा BSDC, भभुआ का प्रश्न है BSDC, औरंगाबाद में पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह अप्रैल, 2017 में 11 प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित किया गया था तथा अनियमित प्रशिक्षण सत्र के कारण इस प्रथम बैच के एक भी प्रशिक्षणार्थी परीक्षा के लिए योग्य नहीं हो सके थे तथा BSDC, भभुआ सदर के Center Coordinator श्री सरोज कुमार सिंह जो Shri Ram New Horizons के कर्मी थे, के द्वारा दिनांक–23 सितम्बर, 2017 को यह सूचना दी गयी कि इस केन्द्र को स्थापित करने में उनके द्वारा 7 लाख रूपये व्यय किये गये हैं तथा उनके द्वारा एक अन्य एजेंसी के साथ Franchisee Agreement में इस केन्द्र को संचालित किया जा रहा है ।

अपने स्पष्टीकरण में एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उन्होंने अपने किसी केन्द्र को Franchisee mode में किसी भी संस्था या व्यक्ति को अनुबंधित नहीं किया है तथा उनके केन्द्रों पर जो भी कर्मी कार्यरत हैं वे Shri Ram New Horizons के Pay roll पर हैं । जहाँ तक मुरौल केन्द्र के संचालन का प्रश्न है, उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि कुछ तकनीकी तथा ऑपरेशनल कारणों से इस केन्द्र पर कुछ समस्यायें उत्पन्न हुई, जिसे सही करने का उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया । बिहार महादलित विकास मिशन के मामले में उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि विषवस्तु अभी अनुसंधान में है तथा Shri Ram New Horizons के द्वारा सभी आवश्यक कागजात अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया है । अपने स्पष्टीकरण में एजेंसी के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन से यह अनुरोध किया गया कि किसी भी निर्णय पर अंतिम रूप से पहुंचने के पूर्व एजेंसी को सुनने का एक मौका दिया जाये ताकि एजेंसी के द्वारा आवश्यक कागजात उपलब्ध कराया जा सके ।

एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उन्हें सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, जिसके आलोक में एजेंसी के प्रतिनिधि दिनांक–26 फरवरी, 2018 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए तथा यह कहा गया कि एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons एक बड़ी संस्था है जिसका अपना नाम है । उनके द्वारा यह कहा गया कि उनकी संस्था ने अपने साथ संबद्ध केन्द्रों को Franchisee mode में संचालित नहीं किया है । जब उन्हें उनके कर्मी के द्वारा एक अन्य संस्था के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को दिखाया गया तो एजेंसी के द्वारा यह कहा गया कि श्री सरोज कुमार सिंह उनके भभुआ सदर केन्द्र के Center Coordinator हैं तथा वे M/s Shri Ram New Horizons के Employee हैं, लेकिन उनके द्वारा यदि किसी संस्था के साथ कोई अनुबंध या Infrastructure Services Lease Agreement किया जाता है

... ता। इसके लिए एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons ...

दिया गया वक्तव्य स्वीकार करने ... एजेंसी M/s Shri Ram New Horizons के द्वारा

ंह को भभुआ सदर BSDC का ... योग्य नहीं है । एजेंसी के द्वारा श्री सरोज कुमार सि

authorised Signatory घोषित करते हुए एक प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जो इस Infrastructure Services Lease Agreement के साथ संलग्न है, जिसमें उन्हें भभुआ सदर केन्द्र पर कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण संचालित करने हेतु Shri Ram New Horizons के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । अतः एजेंसी के द्वारा यह कहना कि यदि सरोज कुमार सिंह के द्वारा किसी अन्य संस्था के साथ कोई अन्य एकरारनामा कर लिया गया तो इसके लिए Shri Ram New Horizons दोषी नहीं हैं, स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

जहाँतक बिहार महादलित विकास मिशन में अनियमितता के लिए निगरानी विभाग के द्वारा दायर किये गये प्राथमिकी का प्रश्न है, यह तथ्यात्मक है कि इस प्राथमिकी के गुण दोष की समीक्षा हेतु बिहार कौशल विकास मिशन प्राधिकृत संस्था नहीं है, लेकिन जबतक किसी सक्षम न्यायालय से एजेंसी को दोषमुक्त नहीं किया जाता है, तबतक उन्हें दोष मुक्त भी नहीं माना जा सकता है तथा यह माना जायेगा कि राज्य सरकार के एक अन्य विभाग में अनियमितता के आरोप में राज्य के निगरानी विभाग के द्वारा एजेंसी के विरूद्ध वाद दायर किया गया है, जो अभी अनिर्णित है ।

उपर्युक्त सभी तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात यह पाया जाता है कि एजेंसी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है । एजेंसी के द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने साथ आवंटित शेष बचे 5 केन्द्रों को स्थापित करने की दिशा में कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गयी तथा स्मारित किये जाने के वाबजूद भी निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात उनके द्वारा email के माध्यम से यह सूचित किया गया कि अब वे लगभग शेष बचे केन्द्रों को स्थापित करने की स्थिति में हैं । एजेंसी के अनियमित प्रशिक्षण पद्धति के कारण BSDC, मुरौल के अनेक बैच के छात्रों का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो सका तथा उनके द्वारा प्राधिकृत उनके एजेंसी के Employee के द्वारा RFP की शर्तो तथा एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के सेक्शन-3 का उल्लंघन करते हुए एक अन्य संस्था के साथ Franchisee Agreement किया गया, जो कुशल युवा कार्यक्रम के लिए स्थापित मानको का उल्लंघन है । एजेंसी के त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण नीति के कारण औरंगाबाद सदर BSDC के अप्रैल, 2017 बैच का भी कोई प्रशिक्षणार्थी परीक्षा के लिए योग्य नहीं हो सका ।

अतः एजेंसी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को रद्द किया जाता है तथा RFP की शर्तो तथा अनुबंध के सेक्शन-3 का उल्लंघन कर BSDC, भभुआ सदर को Franchisee mode में संचालित करने के प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी RFP/EOI/Tender में भाग लेने से अगले तीन वर्षो तक प्रतिबंधित किया जाता है । एजेंसी को आदेश दिया जाता है कि वे 15 दिनों के भीतर सभी अनुमोदित 5 केन्द्रों पर अपने द्वारा अधिष्ठापित कंप्यूटर को हटाते हुए इन भवनों का प्रभार स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्ति करें । वित्त प्रशाखा, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी से विद्युत विपत्र भुगतान किये जाने का साक्ष्य प्राप्त कर इनके सभी अन्य लंबित विपत्रों का भुगतान 15 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें ।

15/4/18

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–18/2016– 887 पटना, दिनांक– 17.4.2018

प्रतिलिपि– (1) M/s Shri Ram New Horizons को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी निगम/बोर्ड के निदेशक/ सभी आयुक्त, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित । जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद तथा कैमूर को निदेश दिया जाता है कि वे राज्य सरकार के द्वारा अधिष्ठापित सभी उपस्करों के साथ अगले 15 दिनों के अन्दर BSDC, मुरौल, औरंगाबाद सदर, मोहनिया, भभुआ सदर तथा रामगढ़ का प्रभार संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिलाना सुनिश्चित करेंगें ।

(3) मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मिशन प्रबंधक, वित्त को आदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी से विद्युत विपत्र के भुगतान का साक्ष्य प्राप्त करते हुए एजेंसी के सभी लंबित विपत्रों का भुगतान 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें । मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति को सभी SDC/BSDC को परिचारित करना सुनिश्चित करें ।

(4) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद तथा कैमूर/ श्री रत्नदीप सिंह, प्रबंधक, MIS & M&D को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना/कराना सुनिश्चित करें ।

(हस्ताक्षर) 17/4/18

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।